



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-228990
CG-DL-E-14082021-228990

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3036]
No. 3036]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SRAVANA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

का.आ. 3276(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) के खंड (ए) धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को अधिकृत करती है: सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम के तहत ऐसे प्राधिकारियों के कार्यों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी रूप से जिला, तालुका, पुलिस स्टेशन और कॉलम (4), (5) में उल्लिखित गांवों से संबंधित आधिकारिक अनुसूची में प्रकाशित करेंगे। (६) और (७) क्रमशः उक्त अनुसूची के लिए जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू-अखनूर खंड के किमी 26.350 (खाटी चौक) से किमी 30.097 (हनुमान चौक) तक NH-144A के पेव्ड शोल्डर कॉन्फिगरेशन के साथ मौजूदा 2-लेन राजमार्ग का 4 लेन में उन्नयन।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू-अखनूर खंड के किमी 26.350 (खाटी चौक) से किमी 30.097 (हनुमान चौक) तक NH-144A के पेव्ड शोल्डर कॉन्फिगरेशन के साथ मौजूदा 2- लेन राजमार्ग को 4 लेन में अपग्रेड करने के लिए भूमि अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम				
1	2	3	4	5	6	7				
1	उपायुक्त, जम्मू	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 144A	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	अखनूर	<table><tr><td>1</td><td>अम्बारन</td></tr><tr><td>2</td><td>दस्गल</td></tr></table>	1	अम्बारन	2	दस्गल
1	अम्बारन									
2	दस्गल									

		के कि.मी. 26.35 से 30.097 तक			<table><tr><td rowspan="3">जम्मू नॉर्थ</td><td>1</td><td>जंडियाल</td></tr><tr><td>2</td><td>रंजन</td></tr><tr><td>3</td><td>चक सिंघू</td></tr></table>	जम्मू नॉर्थ	1	जंडियाल	2	रंजन	3	चक सिंघू
जम्मू नॉर्थ	1	जंडियाल										
	2	रंजन										
	3	चक सिंघू										

[फा. सं. DCJ/LA/JA Road/2021-22/396]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2021

S.O. 3276(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorize the officers in mentioned in column (2) of the schedule below as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official said schedule relating to district, taluka, police station and villages mentioned in columns (4), (5), (6) and (7) respectively of the said schedule for upgradation of existing 2-lane highway to 4 lane with paved shoulder configuration of NH-144A from Km. 26.350 (Khati Chowk) to Km. 30.097 (Hanuman Chowk) of Jammu – Akhnoor section in the union territory of Jammu & Kashmir

SCHEDULE

Land acquisition for upgradation of existing 2-lane highway to 4 lane with paved shoulder configuration of NH-144A from Km 26.350 (Khati Chowk) to Km 30.097 (Hanuman Chowk) of Jammu – Akhnoor section in the union territory of Jammu & Kashmir.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Commissioner, Jammu	26.35KM To 30.097KM.	JAMMU & KASHMIR	JAMMU	Akhnoor	1 Āmbaran 2 Dasgal
					Jammu North	1 Jandial 2 Ranjan 3 Chak Singhu

[F. No. DCJ/LA/JA Road/2021-22/396]

RAJESH GUPTA, Director